



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 25, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड और सिविल सेवा आवंटन असमानता.....	2
2. NCDC (संशोधन) अधिनियम, 2026 और संघीय स्वायत्तता की चिंताएं.....	4
3. पश्चिमी राजस्थान नदी बेसिन में औद्योगिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश.....	5
4. J&K SIA द्वारा 1998 के वंधामा नरसंहार जांच को फिर से खोलना.....	7
5. नौवां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2026: संस्थागत ढांचा और आतंकवाद-विरोधी रणनीतियां.....	8
6. 1996 भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि और बिहार की क्षेत्रीय चिंताएं.....	10
7. मक्का संयुक्त रक्षा समझौता और भारत के लिए भू-राजनीतिक निहितार्थ.....	11
8. भारत-जापान आर्थिक जुड़ाव और व्यापार समझौते की समीक्षा.....	13
9. असम के जागीरोड सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए पत्थर की खदानों से खतरा.....	14
10. कावेरी जल बंटवारे पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और CWMA का क्षेत्राधिकार.....	16
11. आरबीआई की रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधाएं और विदेशी मुद्रा भंडार विस्तार.....	17
12. उज्जैन में अशोक की खोज: वैश्य टेकरी पर पुरातात्विक उत्खनन.....	19
13. भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध: रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय गतिशीलता.....	20



1. ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड और सिविल सेवा आवंटन असमानता

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- सरकारी हस्तक्षेप (Government Intervention):** केंद्र सरकार ने अपने 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगते हुए उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का रुख किया, जो कि क्रीमी लेयर के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा खारिज किए गए लगभग 100 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उम्मीदवारों से संबंधित था।
- फैसले की समय-सीमा (Timeline of Judgment):** 2016 से खारिज किए गए उम्मीदवारों पर विचार करने का आदेश देने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के अंतिम परिणाम घोषित होने के पांच दिन बाद सुनाया गया था।

- **CSE-2025 पर तत्काल ध्यान (Immediate Focus on CSE-2025):** केंद्र की स्पष्टीकरण याचिका विशेष रूप से CSE-2025 बैच पर केंद्रित है, क्योंकि इसकी सेवा आवंटन प्रक्रिया आदेश से पहले ही अंतिम चरण में पूरी हो चुकी थी।
- **व्यापक परिचालन प्रभाव (Cascading Operational Impact):** योग्यता (मेरिट) सूचियों के किसी भी भूतलाक्षी (retrospective) पुनर्मूल्यांकन से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में बुनियादी पाठ्यक्रम (फाउंडेशन कोर्स) के कार्यक्रम, प्रशिक्षण कैलेंडर और बैच रसद (लॉजिस्टिक्स) को गंभीर रूप से व्यवधान पहुंचेगा।
- **प्रशासनिक और करियर संबंधी परिणाम (Administrative and Career Ramifications):** श्रेणी-वार आवंटन को अंतिम रूप देने में देरी से नए अधिकारियों के लिए कैडर आवंटन, बैच संख्या, आपसी वरिष्ठता (inter-se seniority) और वेतन निर्धारण में बदलाव का खतरा है।
- **भविष्य की प्रयोज्यता छोड़ी गई (Future Applicability Omitted):** DoPT का स्पष्टीकरण आवेदन विशेष रूप से CSE-2025 के तात्कालिक प्रशासनिक संकट को संबोधित करता है, जिसमें इसके बाद के भर्ती चक्रों पर न्यायिक प्रयोज्यता का विवरण नहीं दिया गया है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **क्रीमी लेयर (Creamy Layer):** सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) के लाभों से OBC श्रेणी के अपेक्षाकृत अमीर और बेहतर शिक्षित सदस्यों को बाहर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आर्थिक और सामाजिक सीमा।
- **आपसी वरिष्ठता (Inter-se Seniority):** एक ही परीक्षा बैच के भीतर चयनित उम्मीदवारों के बीच स्थापित सापेक्ष वरिष्ठता रैंकिंग, जो भविष्य के करियर पदोन्नति और कैडर प्लेसमेंट को निर्धारित करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 16(4) [Article 16(4) of the Constitution]:** राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **इंद्रा साहनी मामला (1992) [Indra Sawhney Case (1992)]:** यह ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था जिसने "क्रीमी लेयर" को अनिवार्य रूप से बाहर करने के अधीन 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सही मायने में वंचितों तक पहुंचे।
- **संविधान का अनुच्छेद 142 (Article 142 of the Constitution):** सुप्रीम कोर्ट को "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की असाधारण शक्तियां प्रदान करता है, जिसे अक्सर सार्वजनिक रोजगार और प्रशासनिक विवादों में लागू किया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह विवाद प्रशासनिक रसद को अस्थिर किए बिना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लागू करने की सतत चुनौती को उजागर करता है। जबकि न्यायिक हस्तक्षेप का उद्देश्य कठोर नौकरशाही के खिलाफ वैध उम्मीदवार के दावों की रक्षा करना है, प्रशासनिक देरी से बचने के लिए परिचालन अनिवार्यता के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में कानूनी मानदंडों के संतुलित, भविष्यदर्शी (prospective) अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा; कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय।
- जीएस पेपर II (GS Paper II):** लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका और प्रशासनिक सेवा आवंटन तथा भर्ती नीतियों से जुड़े शासन के मुद्दे।

2. NCDC (संशोधन) अधिनियम, 2026 और संघीय स्वायत्तता की चिंताएं

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- संसदीय मंजूरी (Parliamentary Passage):** संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिसने इस वैधानिक निकाय के जनादेश और वित्तपोषण के दायरे को व्यापक बनाने के लिए मूल NCDC अधिनियम, 1962 में संशोधन किया।
- प्रत्यक्ष वित्तपोषण चैनल (Direct Financing Channel):** यह संशोधन NCDC को पारंपरिक राज्य सरकार के माध्यम से जाने वाले रास्ते को दरकिनार करते हुए किसी भी सहकारी समिति या संस्था को सीधे ऋण, अनुदान और इक्विटी निवेश देने की अनुमति देता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों से परे विस्तार (Expansion Beyond Rural Areas):** नया कानून औद्योगिक, कुटीर और ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए सख्ती से ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर काम करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे शहरी और गैर-कृषि क्षेत्रों में संचालन की अनुमति मिलती है।
- खाद्य पदार्थों की व्यापक परिभाषा (Broader Definition of Foodstuffs):** वित्तीय सहायता के लिए पात्रता के दायरे को व्यापक बनाते हुए वैधानिक परिभाषाओं का विस्तार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (processed foods) और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं को शामिल करने के लिए किया गया।
- किसान समूहों द्वारा आपत्ति (Objections by Farmer Groups):** संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) जैसे संगठनों ने कानून को संघवाद पर "हमला" करार दिया, और आरोप लगाया कि कृषि से संसाधनों को कॉरपोरेट-शैली की शहरी परियोजनाओं की ओर मोड़ा जा रहा है।
- सूचना साझा करने की शक्तियां (Information Sharing Powers):** NCDC अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बैंकों और अधिसूचित संस्थानों के साथ क्रेडिट और परिचालन डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC):** कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं के लिए सहकारी कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और वित्तपोषित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के तहत 1963 में स्थापित एक वैधानिक निगम।
- सहकारिता का संघीय सिद्धांत (Federal Principle of Cooperation):** एक शासन मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि संस्थागत स्वायत्तता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत नियंत्रण को बनाए रखने के लिए स्थानीय सहकारी समितियां राज्य की विधायी देखरेख में रहें।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि 32, सूची II) [Seventh Schedule (Entry 32, List II)]:** "सहकारी समितियां" (बहु-राज्य सहकारी समितियों को छोड़कर) सख्ती से राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, जो राज्य विधानसभाओं को विशेष विधायी अधिकार प्रदान करती हैं।
- 97वां संवैधानिक संशोधन निर्णय (2021) [97th Constitutional Amendment Judgment (2021)]:** सुप्रीम कोर्ट ने यूनियनों ऑफ इंडिया बनाम राजेंद्र एन. शाह मामले में फैसला सुनाया कि सहकारी समितियों पर केंद्रीय शक्ति सीमित है, और राज्य स्तर की सहकारी समितियों के लिए भाग IX-B के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया।
- अनुच्छेद 43B (DPSP) [Article 43B (DPSP)]:** राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

NCDC (संशोधन) अधिनियम, 2026 का उद्देश्य सहकारी साख का आधुनिकीकरण करना और ग्रामीण सीमाओं से परे औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना है। हालांकि, एक प्रत्यक्ष केंद्रीय वित्तपोषण तंत्र का निर्माण संघीय घर्षण और राज्य की नियामक स्वायत्तता के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। एक सहयोगी सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पूंजी तक पहुंच और संवैधानिक राज्य अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** संघीय ढांचा, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, शक्तियों का हस्तांतरण, और सहकारी समितियों का संवैधानिक ढांचा (भाग IX-B)।
- जीएस पेपर III (GS Paper III):** पशुपालन और कृषि का अर्थशास्त्र, कृषि बुनियादी ढांचा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, और ग्रामीण साख (क्रेडिट) में सहकारी समितियों की भूमिका।

3. पश्चिमी राजस्थान नदी बेसिन में औद्योगिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- निर्माण पर रोक (Prohibition on Construction):** सुप्रीम कोर्ट ने नदी के और अधिक क्षरण को रोकने के लिए राजस्थान की मौसमी जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के भीतर निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी।
- औद्योगिक बफर जोन (Industrial Buffer Zone):** खतरनाक या प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए मौजूदा बाढ़ रेखा या वर्तमान प्रवाह मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर का प्रतिबंध तब तक अनिवार्य किया गया जब तक कि उच्च बाढ़ रेखा (high flood line) का वैज्ञानिक सीमांकन पूरा नहीं हो जाता।
- स्थानीय आबादी पर प्रभाव (Impact on Local Population):** जोजरी-बांडी-लूणी नदी बेसिन में गंभीर औद्योगिक प्रदूषण जल-तनावग्रस्त जिलों में लगभग दो मिलियन (20 लाख) लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए सीधा खतरा पैदा करता है।

- क्षेत्रीय जल विज्ञान संदर्भ (Regional Hydrological Context):** जोजरी जोधपुर से होकर बहती है, बांडी पाली से होकर बहती है, और दोनों सहायक नदियां बालोतरा के पास मुख्य लूणी नदी में मिल जाती हैं, जो कपड़ा रंगाई और छपाई इकाइयों का एक प्रमुख केंद्र है।
- दीर्घकालिक कार्य योजना (Long-Term Action Plan):** सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य प्रशासन को 20-सूत्रीय संकल्प योजना तैयार करने और दीर्घकाल में नदी तटों से दूर पूरे औद्योगिक क्षेत्रों को स्थानांतरित करने पर विचार करने का निर्देश दिया।
- समन्वित निष्पादन (Coordinated Execution):** मुख्य सचिव के तहत एक एकीकृत समन्वय समूह (Integrated Coordination Group) को नदी जीर्णोद्धार प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए उच्च-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र देखरेख समिति (High-Level Ecosystem Oversight Committee) के साथ मिलकर काम करने का काम सौंपा गया था।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- नदीय पारिस्थितिकी तंत्र (Riverine Ecosystem):** एक नदी चैनल और उसके निकटवर्ती तटवर्ती बफर जोन के भीतर बातचीत करने वाले जीवित जीवों का एक नेटवर्क जो पोषक चक्र और जल निस्पंदन (फिल्टरेशन) को नियंत्रित करता है।
- उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line - HFL):** पीक (अत्यधिक) बाढ़ के दौरान नदी में दर्ज किया गया अधिकतम जल स्तर, जिसका उपयोग संरक्षित पर्यावरणीय बफर जोन का सीमांकन करने के लिए एक कानूनी आधार रेखा के रूप में किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21 of the Constitution):** जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त वातावरण और सुरक्षित पेयजल के अधिकार को शामिल करने के रूप में व्याख्यायित करता है।
- अनुच्छेद 48A (DPSP) और अनुच्छेद 51A(g) [Article 48A (DPSP) & Article 51A(g)]:** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का जनादेश देते हैं, जबकि नागरिकों पर प्राकृतिक जल निकायों की रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य लागू करते हैं।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 [Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974]:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपशिष्ट निर्वहन को विनियमित करने और गैर-अनुपालन वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश देने के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नाजुक शुष्क क्षेत्रों में अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियों की तुलना में पारिस्थितिक जीर्णोद्धार की प्राथमिकता को रेखांकित करता है। लागू करने योग्य बफर जोन स्थापित करना और पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ आर्थिक उत्पादन को संतुलित करते हुए औद्योगिक स्थानांतरण की खोज करना राजस्थान के नदी-निर्भर समुदायों के लिए टिकाऊ जल सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** न्यायपालिका—ढांचा, कार्यप्रणाली, और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले ऐतिहासिक आदेश; वैधानिक निकाय (SPCBs) और पर्यावरण प्रवर्तन में शासन के मुद्दे।
- जीएस PAPER III (GS Paper III):** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, और पर्यावरण प्रभाव आकलन; शुष्क क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था (अपवाह तंत्र) और जल की कमी की गतिशीलता।

4. J&K SIA द्वारा 1998 के वंधामा नरसंहार जांच को फिर से खोलना

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- पुराने मामले को फिर से खोलना (Reopening of Cold Case):** जम्मू और कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने 1998 के वंधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू कर दी है, जहां गांदरबल जिले में आतंकवादियों द्वारा 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी।
- नए साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना (Focus on Fresh Evidence):** SIA का लक्ष्य नए भौतिक साक्ष्य एकत्र करना, गवाहों के बयानों की फिर से जांच करना और इसमें शामिल व्यापक साजिशकर्ता नेटवर्क का पर्दाफाश करना है।
- व्यवस्थित पुनर्जांच का हिस्सा (Part of Systematic Reinvestigation):** यह जांच SIA द्वारा कश्मीर घाटी में लक्षित हत्याओं से जुड़े आतंकवाद के दौर के अनसुलाझे पुराने मामलों (cold cases) की समीक्षा करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।
- समानांतर पुराने मामलों की जांच (Parallel Cold Case Probes):** एजेंसी साथ ही अन्य ऐतिहासिक मामलों की भी जांच कर रही है, जिनमें टीका लाल टपलू, जस्टिस नीलकंठ गंजू और सरला भट की हत्याएं शामिल हैं।
- साक्ष्य-आधारित अभियोजन (Evidence-Based Prosecution):** अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इस पुनर्जांच का उद्देश्य दशकों पुराने मामलों को विशुद्ध रूप से योग्यता और स्थापित न्यायिक साक्ष्यों के आधार पर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना है।
- सक्रिय खोजी कदम (Proactive Investigative Steps):** SIA ने इस अपराध से जुड़े जीवित अपराधियों और आतंकी सहयोगियों की पहचान करने के लिए घाटी भर में कई तलाशी और छापे मारे हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- राज्य जांच एजेंसी (SIA):** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के समन्वय में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के लिए एक नोडल निकाय के रूप में 2021 में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गठित एक विशेष कानून प्रवर्तन एजेंसी।
- पुराने मामलों की पुनर्जांच (Cold Case Reinvestigation):** उन्नत फोरेंसिक उपकरणों, गवाहों के नए खातों/बयानों और खुफिया ढांचे का उपयोग करके ठप पड़ी आपराधिक जांच को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967:** आतंकवाद के कृत्यों और भूमिगत सहायता संरचनाओं की जांच, अभियोजन और दंडित करने के लिए प्राथमिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 173(8):** जांच अधिकारियों को प्रारंभिक मामला बंद करने या चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी आगे की जांच करने और पूरक चार्जशीट जमा करने का अधिकार देती है।
- संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21 of the Constitution):** जीवन और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है, जो जघन्य अपराधों के लिए समय की सीमाओं के बिना पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय का अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

बंधामा नरसंहार जांच को फिर से खोलना ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने और आतंकवाद के दौर के अपराधों के लिए जवाबदेही स्थापित करने के राज्य के संस्थागत प्रयास को रेखांकित करता है। SIA जैसी विशेष आतंकवाद-विरोधी एजेंसियों का लाभ उठाकर, कानूनी प्रणाली का लक्ष्य जवाबदेही लागू करना, कानून के शासन को बनाए रखना और संस्थागत न्याय तंत्र में जनता के विश्वास को बहाल करना है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय; कानून प्रवर्तन, आपराधिक न्याय सुधारों और मानव अधिकार संरक्षण से संबंधित शासन के मुद्दे।
- जीएस पेपर III (GS Paper III):** आंतरिक सुरक्षा—विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध; उग्रवाद में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका; आतंकवाद विरोधी एजेंसियां और कानूनी ढांचा (UAPA)।

5. नौवां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2026: संस्थागत ढांचा और आतंकवाद-विरोधी रणनीतियां

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- राष्ट्रीय सुरक्षा विचार-विमर्श (National Security Deliberations):** गृह मंत्रालय (MHA) ने नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2026 का आयोजन किया, जिसमें उभरती आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए वरिष्ठ सुरक्षा नेतृत्व, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और domain विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया।
- एआई-संचालित इंटेलिजेंस फ्यूजन (AI-Driven Intelligence Fusion):** रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण करने और त्वरित खतरे को कम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) स्थापित करने के लिए मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) प्लेटफॉर्म के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल को एकीकृत करने के निर्देश जारी किए गए थे।
- आतंकवाद-विरोधी और निर्वासन पर ध्यान (Focus on Counter-Terrorism and Deportation):** सम्मेलन में सीमा पार घुसपैठ के खिलाफ सख्त उपायों, अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन, और प्रोक्सी वॉर (छद्म युद्ध) का मुकाबला करने को प्राथमिकता दी गई।

- न्यायिक परीक्षणों में तेजी लाना (Speeding Up Judicial Trials):** सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे भगोड़ों का प्रत्यर्पण करके और आपराधिक प्रक्रिया कानूनों के तहत अनुपस्थिति में सुनवाई (trial in absentia) के वैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर आतंकी आरोपियों के खिलाफ मुकदमों में तेजी लाएं।
- प्रहार (PRAHAAR) और UAPA को चालू करना (Operationalizing PRAHAAR & UAPA):** गृह मंत्रालय की प्रहार योजना को लागू करने के लिए पुलिस बलों के व्यापक क्षमता निर्माण और विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के मामलों की कठोर, साक्ष्य-समर्थित जांच पर बल दिया गया।
- विस्तारित खतरे के क्षेत्र (Expanding Threat Vectors):** रणनीतिक चर्चाओं में उप-हवाई प्रणाली के खतरे (ड्रोन), नीली अर्थव्यवस्था (blue economy) ढांचे के भीतर समुद्री सुरक्षा, सूचना युद्ध, साइबर अपराध और एक व्यापक जैव-सुरक्षा ढांचे का निर्माण शामिल था।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC):** इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत संचालित एक नोडल इंटेलिजेंस-शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच रीयल-टाइम परिचालन खुफिया जानकारी एकत्र करता है, विश्लेषण करता है और प्रसारित करता है।
- अनुपस्थिति में सुनवाई (Trial in Absentia):** अभियुक्त की भौतिक अनुपस्थिति में कानून की अदालत में आयोजित एक कानूनी कार्यवाही, जो आमतौर पर तब लागू होती है जब कोई अपराधी फरार हो जाता है या प्रत्यर्पण से बचता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टियां 1 और 2) [Seventh Schedule (List I, Entries 1 & 2)]:** संघ संसद को भारत की रक्षा, केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक संबद्ध बलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करती है।
- गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967:** प्राथमिक आतंकवाद-विरोधी कानून जो व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने में सक्षम बनाता है, कड़े जमानत नियम और लंबी जांच खिड़कियां (समयसीमा) प्रदान करता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023:** इसमें घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति (in absentia) में सुनवाई से संबंधित स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं जब वे अदालत में पेश होने से बचते हैं या विदेश में छिप जाते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन भारत के उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिमान (paradigm) को उजागर करता है, जो प्रतिक्रियाशील पुलिसिंग से पूर्वानुमानित, प्रौद्योगिकी-संचालित रक्षा मॉडल की ओर बढ़ रहा है। AI के माध्यम से संस्थागत खुफिया जानकारी को संश्लेषित (synergize) करना, UAPA और BNSS के तहत वैधानिक जवाबदेही लागू करना और असममित खतरों (asymmetric threats) के खिलाफ डोमेन सीमाओं को सुरक्षित करना आंतरिक स्थिरता और राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज; वैधानिक और गैर-वैधानिक सुरक्षा निकाय; आब्रजन (इमिग्रेशन) कानूनों और सीमा पार सुरक्षा को लागू करने में शासन की चुनौतियां।
- जीएस पेपर III (GS Paper III):** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध; आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका; साइबर सुरक्षा, एआई एकीकरण और उग्रवाद-विरोधी ढांचा।

6. 1996 भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि और बिहार की क्षेत्रीय चिंताएं

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- संधि के नवीनीकरण का विरोध (Opposition to Treaty Renewal):** जेडीयू (JD-U) के नेतृत्व वाले बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र सरकार से 30 वर्षीय भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि का नवीनीकरण न करने का अनुरोध किया है, जो 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है।
- गंभीर गाद जमाव और बाढ़ (Severe Siltation and Flooding):** राज्य के नेताओं का दावा है कि पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज ऊपरी क्षेत्र में गंगा के प्रवाह को धीमा कर देता है, जिससे अत्यधिक गाद जमा होती है जो नदी के तल को ऊंचा करती है और भागलपुर तथा मुंगेर जैसे जिलों में बार-बार गंभीर बाढ़ का कारण बनती है।
- शुष्क मौसम में पानी की कमी (Dry Season Water Deficits):** राज्य प्रशासन बताता है कि शुष्क महीनों (जनवरी से मई) के दौरान बांग्लादेश और कोलकाता पोर्ट के लिए नीचे की ओर (downstream) प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बिहार भारी मात्रा में पानी छोड़ता है, लेकिन उसे घरेलू कृषि और बढ़ती औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है।
- नीतिगत हस्तक्षेप की मांग (Demand for Policy Intervention):** बिहार ने लगातार एक व्यापक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति (National Silt Management Policy), अंतर्राष्ट्रीय जल वार्ताओं में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व और ऊपरी तटवर्ती राज्यों (upper riparian states) द्वारा जल उपयोग की समीक्षा की वकालत की है।
- राजनयिक संतुलन (Diplomatic Balancing Act):** विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्य की चिंताओं को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि विदेश नीति को आपसी हित के माध्यम से पड़ोसी कूटनीति को संरक्षित करते हुए घर पर क्षेत्रीय बाढ़ प्रबंधन को संचालित करना चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- फरक्का बैराज (Farakka Barrage):** पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर निर्मित एक बांध संरचना, जिसे 1975 में कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता को बनाए रखने और गाद को बाहर निकालने के लिए हुगली नदी में पानी मोड़ने हेतु चालू किया गया था।
- अपस्ट्रीम रिपेरियन सिल्टेशन (Upstream Riparian Siltation):** प्रवाह वेग में कमी के कारण किसी बांध या बैराज के अपस्ट्रीम (ऊपरी क्षेत्र) में नदी के तलछट (गाद) का संचय, जो चैनल की क्षमता को कम करता है और बाढ़ की भेद्यता को बढ़ाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 253 (Article 253 of the Constitution):** विदेशी राष्ट्रों के साथ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए पूरे देश के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति संघ संसद को प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 262 और प्रविष्टि 56 (सूची I) [Article 262 and Entry 56 (List I)]:** अंतर-राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए संवैधानिक तंत्र प्रदान करते हैं और जनहित में अंतर-राज्यीय नदियों के केंद्र/संघ विनियमन को सक्षम बनाते हैं।
- सौहार्दपूर्ण संघवाद का सिद्धांत (Doctrine of Harmonious Federalism):** एक शासन ढांचा जिसके तहत बाहरी सीमा पार संधियों को निष्पादित करते समय केंद्र सरकार को आंतरिक राज्य के हितों (जैसे कि अपस्ट्रीम बाढ़ के प्रभाव) से परामर्श करना और उन्हें संतुलित करना आवश्यक होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

1996 की फरक्का संधि की समीक्षा करने या इसे रद्द करने की मांग आंतरिक जल-राजनीति (hydro-politics) और विदेशी संबंधों के बीच जटिल अंतःक्रिया को रेखांकित करती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय दायित्व बांग्लादेश के साथ स्थिर जल-साझाकरण समझौतों को आवश्यक बनाते हैं, भारतीय राज्यों में अपस्ट्रीम गाद जमाव और पारिस्थितिक तनाव को हल करना टिकाऊ नदी बेसिन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव; भारत और उसके पड़ोसी संबंध।
- जीएस पेपर II (GS Paper II):** संधि बनाने की शक्तियों (अनुच्छेद 253), संघवाद, और सीमा पार जल प्रबंधन में केंद्र-राज्य संबंधों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान।
- जीएस पेपर III (GS Paper III):** आपदा प्रबंधन (बाढ़ और नदी के तल में गाद जमाव), जल संसाधन प्रबंधन, और बड़ी जल-संरचनाओं का पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)।

7. मक्का संयुक्त रक्षा समझौता और भारत के लिए भू-राजनीतिक निहितार्थ

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन (Trilateral Security Alliance):** सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त, 2026 को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे नाटो (NATO) के अनुच्छेद 5 के सिद्धांत की तर्ज पर एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित हुई।
- सामूहिक निवारण खंड (Collective Deterrence Clause):** यह समझौता निर्धारित करता है कि "तीनों राज्यों में से किसी एक के खिलाफ सशस्त्र हमले को उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा," जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय रक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने को बढ़ाना है।

- भिन्न खतरे की धारणाएं (Divergent Threat Perceptions):** हालांकि हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने सामूहिक रक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की, लेकिन उनके मुख्य रणनीतिक खतरे काफी भिन्न हैं: सऊदी अरब हूती और क्षेत्रीय प्रॉक्सी चुनौतियों का सामना करता है, तुर्की सीरिया और भूमध्यसागरीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है, और पाकिस्तान भारत तथा अफगानिस्तान के प्रति अपने रुख को प्राथमिकता देता है।
- रणनीतिक त्रय गतिशीलता (Strategic Triad Dynamics):** यह गठबंधन एक बहुआयामी सुरक्षा समूह बनाने के लिए सऊदी पूंजी, तुर्की उन्नत रक्षा तकनीक (ड्रोन प्लेटफॉर्म सहित), और पाकिस्तानी सैन्य जनशक्ति का लाभ उठाता है।
- ऊर्जा गलियारों पर प्रभाव (Impact on Energy Corridors):** बाब अल-मंदेब और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स के पास चल रही समुद्री अस्थिरता सीधे भारतीय कच्चे तेल के आयात सहित एशियाई बाजारों के लिए ऊर्जा परिवहन मार्गों को खतरे में डालती है।
- भारत के लिए राजनयिक संतुलन (Diplomatic Balancing for India):** भारत सऊदी अरब के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखता है, लेकिन उसे पाकिस्तान द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को बदलने के लिए गठबंधन का लाभ उठाने की चिंताओं को सावधानीपूर्वक संचालित करना होगा।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- सामूहिक रक्षा खंड (Collective Defence Clause):** संधि का एक ऐसा प्रावधान जहां हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र किसी भी एक सदस्य राज्य के खिलाफ सैन्य हमले को पूरे गठबंधन के खिलाफ आक्रामकता का कृत्य मानते हैं, जो आपसी सहायता को बाध्यकारी बनाता है।
- रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** एक मुख्य विदेश नीति सिद्धांत जो किसी राष्ट्र को औपचारिक सैन्य गठबंधनों में शामिल हुए बिना राष्ट्रीय हित के अनुरूप स्वतंत्र रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 51 (Article 51 of the Constitution):** राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का जनादेश देते हैं।
- पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और आत्मरक्षा का अधिकार (Customary International Law & Right of Self-Defence):** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत मान्यता प्राप्त, जो सीमा पार आक्रामकता या सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के भारत के अंतर्निहित अधिकार को सुरक्षित रखता है।
- द्विपक्षीय रक्षा ढांचा (Bilateral Defense Frameworks):** रक्षा सहयोग समझौतों और संयुक्त समिति की बैठकों जैसे कानूनी तंत्र जो पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक रक्षा साझेदारी को संचालित करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है, जो पश्चिम एशियाई पूंजी, तुर्की औद्योगिक विशेषज्ञता और दक्षिण एशियाई सैन्य क्षमता का सम्मिश्रण करता है। भारत के लिए, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना समुद्री व्यापार मार्गों और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए

अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए खाड़ी देशों के साथ मजबूत रणनीतिक और ऊर्जा साझेदारी बनाए रखना और लचीले राजनयिक चैनलों को बनाए रखना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध।
- जीएस पेपर III (GS Paper III):** आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियां; समुद्री ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा, रणनीतिक व्यापार चोक पॉइंट्स, और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी गतिशीलता।

8. भारत-जापान आर्थिक जुड़ाव और व्यापार समझौते की समीक्षा

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- व्यापार समझौते की समीक्षा (Trade Pact Review):** भारत और जापान बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार घाटे को दूर करने और लक्षित निवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने 2011 के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) की समीक्षा करने पर सहमत हुए।
- उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल (High-Level Delegation):** केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में 220 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें केदानरेन (Keidanren) और जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे प्रमुख जापानी व्यावसायिक मंचों से जुड़ाव शामिल था।
- निवेश लक्ष्य (Investment Target):** द्विपक्षीय ढांचे का उद्देश्य उच्च तकनीक विनिर्माण, पूंजीगत सामान और हरित ऊर्जा में अगले दशक में भारत में जापानी निवेश में 10 ट्रिलियन येन (\$62 बिलियन से अधिक) प्रवाहित करना है।
- स्थानीयकरण के लिए दबाव (Push for Localisation):** भारत ने बाजार पूंजीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए मारुति सुजुकी को एक बेंचमार्क मॉडल के रूप में उद्धृत करते हुए, जापानी फर्मों से घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर स्थानीय विनिर्माण और एकीकरण का विस्तार करने का आग्रह किया।
- फार्मा और स्वास्थ्य सेवा संबंध (Pharma & Healthcare Ties):** जापानी फर्म मेजी सेका फार्मा ने किफायती मूल्य पर जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन के निर्माण और विपणन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की।
- व्यापार सुरक्षा उपायों पर चर्चा (Trade Safeguards Discussion):** भारत ने व्यापार सुरक्षा उपायों के संबंध में जापानी चिंताओं को संबोधित किया, जिससे कंपनियों को आयात पर भरोसा करने के बजाय सीधे घरेलू स्टील जैसे इनपुट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):** एक मुक्त व्यापार समझौता जो साझेदार देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों और आर्थिक सहयोग में व्यापार को कवर करता है।

- स्थानीयकरण दर (Localisation Rate):** विनिर्माण कार्यों में आयातित इनपुट की तुलना में एक मेजबान देश के भीतर प्राप्त घटकों और कच्चे माल का अनुपात।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 253 (Article 253 of the Constitution):** विदेशी शक्तियों के साथ निष्पादित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और व्यापार समझौतों को लागू करने वाले कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद को प्रदान करता है।
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1974 (Customs Tariff Act, 1975):** व्यापार रक्षा उपायों को संचालित करता है, जो सरकार को आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए सुरक्षा शुल्क (safeguard duties) और डंपिंग रोधी कार्रवाई लागू करने में सक्षम बनाता है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारतीय और जापानी कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह, बाह्य वाणिज्यिक उधार और सीमा पार वित्तीय लेनदेन को विनियमित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

2011 के CEPA की समीक्षा करना सरल शुल्क (टैरिफ) में कटौती से मूल्य-श्रृंखला एकीकरण और संतुलित वाणिज्यिक वृद्धि की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। जापान की उन्नत तकनीक और पूंजी को भारत की लागत प्रभावी विनिर्माण क्षमताओं के साथ जोड़ना भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के रणनीतिक हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी।
- जीएस पेपर III (GS Paper III):** भारतीय अर्थव्यवस्था—योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि और विकास से संबंधित मुद्दे; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), मुक्त व्यापार समझौते (FTAs), और घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (PLI योजनाएं)।

9. असम के जागीरोड सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए पत्थर की खदानों से खतरा

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- चिप इकाई के लिए औद्योगिक खतरा (Industrial Threat to Chip Unit):** पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि पास के पत्थर खदानों और क्रशरों से होने वाला वायु प्रदूषण और ज़मीनी कंपन असम के प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली संयंत्र के संचालन को खतरे में डाल सकता है।
- परियोजना का पैमाना और स्थान (Project Scale and Location):** ₹27,000 करोड़ का टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (TSAT) संयंत्र मोरीगांव जिले के जागीरोड में पूर्व हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन इकाई के स्थान पर निर्माणाधीन है।

- कड़े विनिर्माण मानक (Stringent Manufacturing Standards):** सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए माइक्रोस्कोपिक धूल संदूषण को रोकने के लिए ISO क्लास 1 से क्लास 5 वाइब्रेशन-डैम्पड क्लीनरूम्स (vibration-damped cleanrooms) के साथ-साथ प्रतिदिन लाखों गैलन अत्यधिक शुद्ध पानी (ultra-pure water) की आवश्यकता होती है।
- पारिस्थितिक और पर्यावरणीय क्षति (Ecological and Environmental Damage):** पास के सोनाईकुची आरक्षित वन में अनियंत्रित विस्फोट और उत्खनन के कारण लगातार धूल की परतें बनती हैं, जिससे आकस्मिक बाढ़ का खतरा और जनस्वास्थ्य के लिए खतरे पैदा होते हैं।
- बफर प्रतिबंधों की मांग (Demand for Buffer Restrictions):** कार्यकर्ताओं ने सूचना का अधिकार (RTI) प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उजागर हुई चिंताओं का हवाला देते हुए असम सरकार से TSAT सुविधा के आसपास प्रदूषणकारी इकाइयों के लिए सख्त 15-किलोमीटर का निषेध क्षेत्र लागू करने का आग्रह किया।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन संरेखण (India Semiconductor Mission Alignment):** भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के हिस्से के रूप में, इस हस्ताक्षर संयंत्र की रक्षा करना उच्च तकनीक विनिर्माण में राष्ट्रीय रणनीतिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- क्लीनरूम (Cleanroom):** हवाई कणों, तापमान और आर्द्रता पर निर्दिष्ट सीमाओं वाला एक नियंत्रित वातावरण, जो सूक्ष्म चिप निर्माण और संयोजन (असेंबली) प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।
- असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP):** सेमीकंडक्टर विनिर्माण का उत्तर-निर्माण (post-fabrication) चरण जहां सिलिकॉन वेफर्स को व्यक्तिगत चिप्स में संसाधित किया जाता है, वायर-बॉन्डेड किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और अंतिम वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए पैक किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 48A (Article 48A of the Constitution):** राज्य को देश भर में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 [Environment (Protection) Act, 1986]:** केंद्र और राज्य सरकारों को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones) घोषित करने और पारिस्थितिक रूप से नाजुक या औद्योगिक विरासत क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक संचालन को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 [Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981]:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को विनियमित करने और हानिकारक कणों को उत्सर्जित करने वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

जागीरोड सेमीकंडक्टर सुविधा के सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियाँ उन्नत उच्च तकनीक औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ पारंपरिक संसाधन निष्कर्षण को संतुलित करने की आवश्यकता को उजागर करती हैं। सख्त बफर जोन लागू करना, खदानों से होने वाले कंपनों को कम करना, और आसपास के आरक्षित वनों को संरक्षित करना भारत के सेमीकंडक्टर निवेश की रक्षा करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड); महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
- जीएस पेपर III (GS Paper III):** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत औद्योगिक नीतियां; विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग।

10. कावेरी जल बंटवारे पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और CWMA का क्षेत्राधिकार

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- CWMA को निर्देश (Direction to CWMA):** सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु को सलाह दी कि वह कर्नाटक से कावेरी जल के अपने "आनुपातिक" (proportionate) हिस्से में कमी से संबंधित अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) से संपर्क करे।
- यथा अनुपात घाटे का दावा (Pro Rata Shortfall Claims):** तमिलनाडु ने प्रस्तुत किया कि उसे यथा अनुपात (pro rata) संकट-साझाकरण सूत्र के अनुसार 17.414 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (tmc ft) की कमी का सामना करना पड़ा।
- कर्नाटक का बचाव (Karnataka's Defense):** कर्नाटक ने एक हलफनामा दायर कर तर्क दिया कि अल नीनो (El Niño) परिस्थितियों के बावजूद कृष्णराज सागर (KRS) और काबिनी जलाशयों से बिलिगुंडलू स्थित अंतर-राज्यीय मापन बिंदु पर जल का प्रवाह बनाए रखा गया था।
- अनुपालन पर विवाद (Contested Compliance):** तमिलनाडु ने तर्क दिया कि कर्नाटक द्वारा जल छोड़ना वैधानिक जल-बंटवारे के आवंटन के स्वैच्छिक अनुपालन के बजाय मुख्य रूप से मानसून के अतिप्रवाह (overflow) के कारण था।
- न्यायिक पीठ (Judicial Bench):** न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दोहराया कि CWMA जैसे संस्थागत निकायों को संकट-साझाकरण सूत्रों की गणना करने और उन्हें लागू करने का अधिकार है।
- स्थिति अद्यतन का जनादेश (Status Update Mandate):** शीर्ष अदालत ने बिलिगुंडलू में जलाशय के स्तर और दर्ज प्रवाह के संबंध में अद्यतन स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश CWMA और कर्नाटक को देते हुए एक अनुवर्ती सुनवाई तय की।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA):** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के अंतिम निर्णय को लागू करने के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6A के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय।
- यथा अनुपात संकट साझाकरण (Pro Rata Distress Sharing):** एक ऐसा सूत्र जो कुल बेसिन भंडारण क्षमता के आधार पर कम वर्षा या सूखे के वर्षों के दौरान तटीय/रिपेरीयन राज्यों के बीच आनुपातिक रूप से जल छोड़े जाने की मात्रा को कम करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 262 (Article 262 of the Constitution):** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956:** अंतिम निर्णयों को लागू करने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरणों और CWMA जैसे वैधानिक प्राधिकरणों की स्थापना के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **प्रविष्टि 56 (संघ सूची) एवं प्रविष्टि 17 (राज्य सूची) [Entry 56 (Union List) & Entry 17 (State List)]:** स्थानीय जल आपूर्ति और सिंचाई पर राज्य के अधिकारों को संतुलित करते हुए अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों पर केंद्रीय क्षेत्राधिकार स्थापित करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश जटिल अंतर-राज्यीय जल संघर्षों के प्रबंधन में CWMA जैसे वैधानिक संस्थानों की भूमिका को सुदृढ़ करता है। स्थापित यथा अनुपात आवंटन ढांचे और संस्थागत तंत्र का पालन संकट के वर्षों के दौरान कानूनी टकराव को कम करते हुए ऊपरी और निचले तटीय राज्यों के बीच न्यायसंगत संसाधन वितरण सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (GS Paper II):** भारतीय संविधान—संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध, विवाद निवारण तंत्र, और सहकारी संघवाद में वैधानिक संस्थाओं की भूमिका।
- **जीएस पेपर III (GS Paper III):** जल संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन (सूखा और अल नीनो के प्रभाव), और तटीय/रिपेरियन राज्यों में कृषि सिंचाई की चुनौतियां।

11. आरबीआई की रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधाएं और विदेशी मुद्रा भंडार विस्तार

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **सरकारी समर्थन (Government Endorsement):** वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रियायती विदेशी मुद्रा (FX) स्वैप सुविधाओं पर बाजार की प्रतिक्रिया को "शानदार" बताया, और पुष्टि की कि बाहरी बफ़र्स न्यूनतम लागत-दक्षता के साथ बनाए गए थे।
- **महत्वपूर्ण अंतर्प्रवाह जुटाया गया (Significant Inflows Mobilized):** 8 जून को शुरू की गई रियायती स्वैप सुविधा ने 21 अगस्त तक FCNR(B) जमा, विदेशी मुद्रा विदेशी ऋण (Overseas Foreign Currency Borrowings), और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) के माध्यम से \$72.85 बिलियन सफलतापूर्वक जुटाए।
- **FCNR(B) विंडो को समय से पहले बंद करना (Early Closure of FCNR(B) Window):** पर्याप्त अंतर्प्रवाह के कारण, RBI ने मूल रूप से निर्धारित 30 सितंबर की समय सीमा से पहले ही 31 अगस्त को FCNR(B) स्वैप विंडो को बंद करने का निर्णय लिया।
- **अन्य मार्गों के लिए विस्तारित अवधि (Extended Duration for Other Avenues):** विदेशी मुद्रा विदेशी ऋण और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) के लिए समर्पित स्वैप सुविधाएं योजना के अनुसार 31 दिसंबर तक चालू रहेंगी।

- **हेजिंग लागतों पर स्पष्टीकरण (Clarification on Hedging Costs):** इस अटकल को खारिज करते हुए कि समय से पहले बंद करने का कारण उच्च लागत थी, अर्थशास्त्रियों ने नोट किया कि पांच वर्षों में अनुमानित \$10 बिलियन का हेजिंग खर्च बाहरी लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक सोचा-समझा ट्रेड-ऑफ था।
- **समष्टि आर्थिक स्थिरता को मजबूती (Strengthening Macroeconomic Stability):** इन स्वैप खिड़कियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार के त्वरित संचय ने वैश्विक समष्टि आर्थिक अस्थिरता और भुगतान संतुलन के दबावों के खिलाफ घरेलू मुद्रा को महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा (FX Swap Facility):** एक वित्तीय लेनदेन जिसमें केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साथ एक सहमत दर पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा के साथ बदलता है, और एक पूर्व-निर्धारित भविष्य की तारीख पर इस लेनदेन को उलटने (रिवर्स करने) का संकल्प लेता है।
- **FCNR(B) जमा [FCNR(B) Deposit]:** विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा, जो अनिवासी भारतीयों (NRIs) को विनिमय दर के जोखिम का सामना किए बिना स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्राओं में भारतीय बैंकों में सावधि जमा (term deposits) बनाए रखने की अनुमति देती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934):** धारा 17 के तहत RBI को विदेशी मुद्रा संचालन करने, अंतर्राष्ट्रीय भंडार का प्रबंधन करने और मुद्रा स्वैप तंत्र संचालित करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** बाहरी व्यापार को सुगम बनाने, पूंजीगत खाता लेनदेन के प्रबंधन, और विदेशी मुद्रा अंतर्प्रवाह व उधारी को विनियमित करने के लिए नियामक ढांचा प्रदान करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 292 (Article 292 of the Constitution):** कार्यपालिका की उधारी शक्तियों से संबंधित है, जो केंद्रीय बैंकिंग संचालन के माध्यम से संप्रभु और समष्टि-वित्तीय स्थिरता के प्रबंधन के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

RBI की रियायती FX स्वैप सुविधाओं का रणनीतिक क्रियान्वयन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की अवधि के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सफलतापूर्वक सुदृढ़ करता है। दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता के साथ अल्पकालिक हेजिंग खर्चों का संतुलन बनाकर, इस पहल ने मजबूत बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन और निरंतर विनिमय दर स्थिरता को सुनिश्चित किया।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III (GS Paper III):** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; बाहरी क्षेत्र का प्रबंधन, विदेशी मुद्रा भंडार, और रुपये की अस्थिरता।
- **जीएस पेपर III (GS Paper III):** मौद्रिक नीति तंत्र, तरलता नियंत्रण के लिए RBI के वैधानिक उपकरण, और FEMA ढांचे के तहत पूंजी खाता प्रबंधन।

12. उज्जैन में अशोक की खोज: वैश्य टेकरी पर पुरातात्विक उत्खनन

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- नया उत्खनन शुरू (Fresh Excavation Initiated):** मध्य प्रदेश सरकार ने वैश्य टेकरी से शुरुआत करते हुए उज्जैन में मौर्यकालीन बौद्ध स्मारकों को उत्खनन और पुनरुद्धार करने के लिए एक नया पुरातात्विक अभियान शुरू किया है।
- विशाल स्मारकीय पैमाना (Massive Monumental Scale):** ग्वालियर राज्य द्वारा 1938-39 के शुरुआती उत्खनन से पता चला था कि इसके आधार पर लगभग 350 फीट और 100 फीट ऊंचा एक टीला है, जो सांची के 54 फीट ऊंचे महान स्तूप से काफी बड़ा है।
- अशोक की अवंती वाइसरॉयल्टी (Ashoka's Avanti Viceroyalty):** मौर्य अभिलेखों और श्रीलंकाई वृत्तांतों से संकेत मिलता है कि अशोक ने सम्राट बिन्दुसार के शासनकाल में लगभग एक दशक तक उज्जैयिनी में अवंती के प्रांतीय राज्यपाल/वाइसरॉय (कुमार) के रूप में कार्य किया था।
- वेदिसदेवी से संबंध (Connection with Vedisadevi):** स्थानीय परंपराएं वैश्य टेकरी को विदिशा के एक व्यापारी की बेटी देवी से जोड़ती हैं, जिनसे अशोक ने पाटलिपुत्र से उज्जैन जाते समय विवाह किया था।
- व्यापार मार्ग जंक्शन (Trade Route Junction):** उज्जैन पाटलिपुत्र को भड़ौच (भरूच) और सोपारा जैसे पश्चिमी समुद्री बंदरगाहों से जोड़ने वाले एक प्रमुख वाणिज्यिक चौराहे (क्रॉसरोड) के रूप में कार्य करता था।
- समग्र पुरातात्विक ध्यान (Holistic Archaeological Focus):** हिमांशु प्रभा राय जैसे इतिहासकारों ने केंद्रीय स्तूप को अलग-अलग देखने के बजाय आसपास के मठ परिसरों और सहायक संरचनाओं का पता लगाने पर जोर दिया है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- वैश्य टेकरी (Vaishya Tekri):** उज्जैन के पास एक विशाल प्राचीन टीला जिसमें मौर्य काल के बौद्ध स्तूप के अवशेष हैं, जिसका नाम अशोक की रानी देवी से जुड़े वैश्य (व्यापारी) समुदाय के नाम पर रखा गया है।
- कुमार / वाइसरॉय (Kumara - Viceroy):** एक मौर्य प्रशासनिक उपाधि जो उज्जैन, तक्षशिला और तोसाली जैसी प्रमुख प्रांतीय राजधानियों पर शासन करने के लिए नियुक्त शाही राजकुमारों को नामित करती थी।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल व अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958:** भारत भर में राष्ट्रीय पुरातात्विक स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण, उत्खनन और रक्षा को विनियमित करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 49 (Article 49 of the Constitution):** राज्य को राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, स्थानों और कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 51A(f) [Article 51A(f) of the Constitution]:** भारत की सामासिक संस्कृति (composite culture) की समृद्ध विरासत को महत्व देने और उसका संरक्षण करने का प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty) लागू करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

वैश्य टेकरी में नया उत्खनन प्रारंभिक बौद्ध मठ परिदृश्यों और प्राचीन व्यापार गलियारों के साथ शहरी विकास का पुनर्मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। उज्जैन की मौर्यकालीन विरासत की जांच करने से अशोक के साम्राज्य-पूर्व प्रशासन और मध्य भारत में बौद्ध वास्तुकला के क्षेत्रीय विस्तार की समझ गहरी होती है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस PAPER I (GS Paper I):** भारतीय संस्कृति—प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू; मौर्य शिलालेख, स्तूप वास्तुकला और व्यापार मार्ग।
- जीएस PAPER I (GS Paper I):** प्राचीन इतिहास—मौर्य प्रशासन, बौद्ध धर्म का विस्तार, और प्राचीन भारत के शहरी केंद्र।

13. भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध: रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय गतिशीलता

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- उच्च स्तरीय जुड़ाव (High-Level Engagement):** भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आगामी दो द्विपक्षीय बैठकों से पहले मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की।
- सहयोग के प्राथमिकता वाले स्तंभ (Priority Pillars of Cooperation):** भारत-रूस रणनीतिक जुड़ाव के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विस्तार, परमाणु ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग और आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति शामिल है।
- बहुपक्षीय एकीकरण (Multilateral Integration):** दोनों नेताओं की किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन और नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के इतर चर्चा करने की योजना है।
- रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** भारत अपनी विदेश नीति में एक संतुलित, सतर्क दृष्टिकोण बनाए रखना जारी रखे हुए है, जो अमेरिका जैसी पश्चिमी शक्तियों के साथ जटिल संबंधों के साथ-साथ रूस के साथ संबंधों को संतुलित करता है।
- आर्थिक गतिशीलता (Economic Momentum):** भू-राजनीतिक बदलावों और प्रतिबंधों के बावजूद, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा और कृषि इनपुट (उर्वरक आदि) द्वारा संचालित है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** किसी राष्ट्र का ऐसा विदेश नीति ढांचा जिसमें वह बाहरी राजनीतिक दबाव या विदेशी गठबंधनों के आगे झुके बिना स्वतंत्र निर्णय लेता है।
- विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (Special and Privileged Strategic Partnership):** भारत और रूस के बीच अद्वितीय रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक और भू-राजनीतिक संबंधों को संचालित करने वाला औपचारिक राजनयिक ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 51 (Article 51 of the Constitution):** राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का जनादेश देते हैं।
- **अंतर-सरकारी आयोग (Intergovernmental Commissions):** द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) जैसे तंत्रों के माध्यम से कानूनी रूप से विनियमित किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संधियां (International Treaties):** रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा (2000) और द्विपक्षीय रक्षा समझौते जैसे ढांचे दीर्घकालिक तकनीकी और सुरक्षा समझौतों के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

रूस के प्रति भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय स्व-हित, संसाधन सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित एक यथार्थवादी, व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। मॉस्को के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए और साथ ही पश्चिमी देशों के साथ जुड़कर, भारत अपने दीर्घकालिक ऊर्जा और विकासात्मक लक्ष्यों को सुरक्षित करते हुए जटिल वैश्विक 'रीयलपॉलिटिक' (व्यावहारिक राजनीति) को प्रभावी ढंग से संचालित करता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (GS Paper II):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **जीएस पेपर III (GS Paper III):** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और ऊर्जा सुरक्षा (उर्वरक आयात, कच्चा तेल और परमाणु प्रौद्योगिकी) से संबंधित मुद्दे।